सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
अग्रहायण 29, शुक्रवार, *शाके 1946*- दिसम्बर 20, *2024*	
Agrahayana 29, Friday, Saka 1946- December 20, 2024	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 19, 2024

जी.एस.आर.83 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना (संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 13 का संशोधन.- राजस्थान सिविल पदों पर संविदा पर रखा जाना नियम, 2022 के नियम 13 के विद्यमान उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखत प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" (1) इन नियमों के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त संविदा कर्मी ऐसे एक मुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो, वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा नियत किया जाये। प्रत्येक एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा के पूर्ण होने पर, एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक 5 प्रतिशत तक, अगले सौ रुपये पर पूर्णांकित करते हुए बढ़ाया जायेगा। एक मुश्त मासिक पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि या तो 1 जनवरी या, यथास्थिति, 1 जुलाई से अनुज्ञेय होगी। वार्षिक वृद्धि की तारीख निम्नलिखत रीति से अवधारित की जायेगी, अर्थात्:-

(i) ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जनवरी से आगामी 31 दिसंबर के बीच, छह मास या अधिक की सेवा (पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जनवरी होगी ;

(ii) ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने 1 जुलाई से आगामी 30 जून के बीच छह मास या अधिक की सेवा (पारिश्रमिक के बिना छुट्टी की कालावधि को छोड़कर) पूर्ण कर ली है, उनके पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि की तारीख 1 जुलाई होगी; या

(iii) ऐसे संविदा कर्मी जिन्होंने पारिश्रमिक के बिना छुट्टी के कारण, ऊपर उल्लिखित वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की तारीखें अर्थात् 1 जनवरी या, यथास्थिति, 1 जुलाई को छह मास या उससे अधिक की सेवा पूर्ण नहीं की है, ऐसे कर्मचारी ठीक बाद आने वाली 1 जुलाई या, यथास्थिति, 1 जनवरी को छह मास या उससे अधिक की सेवा

पूर्ण करने पर, पारिश्रमिक में वार्षिक वृद्धि के लिए पात्र होंगे और ऐसी तारीख उनकी पुनरीक्षित वार्षिक पारिश्रमिक तारीख होगी। ''

[सं.एफ.17(4)डीओपी/ए-II/2014 पार्ट 2]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 19, 2024

G.S.R.83 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, further to amend the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post (Amendment) Rules, 2024.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 13.- The existing sub-rule (1) of rule 13 of the Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules, 2022 shall be substituted by the following, namely:-

"(1) The contractual employees appointed on the posts created under these rules shall be entitled for such lump-sum remuneration as may be fixed by the Administrative Department with the concurrence of the Finance Department. On completion of satisfactory service of every one year, the monthly lump-sum remuneration shall be increased by 5% rounded off to next hundred rupees. The annual increase in the monthly lump-sum remuneration shall be allowed either with effect from 1st January or 1st July, as the case may be. The date of annual increase shall be determined in the following manner, namely:-

(i) the contractual employees who have completed six months or more service (excluding period of leave without remuneration) between 1st January to upcoming 31st December, their date of annual increase in remuneration shall be 1st January ;

(ii) the contractual employees who have completed six months or more service (excluding period of leave without remuneration) between 1st July to upcoming 30th June, their date of annual increase in remuneration shall be 1st July; or

(iv) the contractual employees who do not complete six months or more service on the above mentioned annual remuneration increase dates i.e. 1st January or 1st July, as the case may be, due to leave without remuneration, such employees shall be eligible for annual increase in remuneration on completion of six months or more

service on immediately upcoming 1st July or 1st January, as the case may be, and such date shall be his revised annual remuneration date."

[No. F. 17(4)DOP/A-II/2014 pt.2]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.